न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी : — श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

प्रार्थनापत्र संख्या :— ३२८/२०२१।

दायर तारीख 07.12.2021

अनवान

1. फूलचन्द पिता देबीलाल गोद पुत्र सुगना जाति हरिजन निवासी बिजौलियां हाल मुकाम अम्बेडकर कॉलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज0)।

...........प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :— 1. श्री रामफूल धाकड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक08 / 11 / 2024

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड़ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की ग्राम बिजौलियांकलां प0ह0 बिजौलियांकलां में खाता संख्या नई 332 में अंकित 260,261,262,263,264 कुल किता 05 रकबा 1.2544 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि में जमाबंदी संवत् 2075—2078 में प्रार्थी का नाम फुन्दिया पुत्र सुगना अंकित है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अनुतोष चाहा है कि मेरे नाम जमाबंदी में फुन्दिया पुत्र सुगना के स्थान पर फुलचन्द गोद पुत्र सुगना जाति हरिजन किया जावें। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत बिजौलियांकलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया एवं साथ की दस्तावेज स्वयं का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं कार्यालय नगर परिषद भीलवाड़ा के द्वारा प्रार्थी का सेवानिवृति पर जारी कार्यालय आदेश व प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया। साथ ही प्रार्थी ने दो गवाहान 01. मोहनलाल पिता देबीलाल जाति हरिजन निवासी बिजौलियां 02. मन्नालाल पिता देबीलाल जाति हरिजन निवासी बिजौलियां का नोटेरी पब्लिक प्रमाणितशपथ पत्र प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं।एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश कियां।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला—भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला—भीलवाड़ा

दस्तावेजों की जांच उपरान्त तहसीलदार बिजौलियां से जांच करवाई गई । दस्तावेजों के निरिक्षण एवं साक्ष्यों के आधार पर तथ्य प्राप्त हुए की फूलचन्द के जैविक पिता का नाम देबीलाल है परन्तु फुलचन्द को वर्षों पहले सुगना ने गोद लिया था। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का बिजौलियां एवं भू अभिलेख बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खाता संख्या 332 पर अंकित फुन्दिया पुत्र सुगना जाति हरिजन के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी खाता संख्या 332 पर अंकित फुन्दिया पुत्र सुगना जाति हरिजन के स्थान पर फूलचन्द पुत्र सुगना दर्ज की जाने की अनुशंषा की जाती है।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाता हैं कि तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिजौलियांकलां प0ह0 बिजौलियांकलां में स्थित खाता संख्या 332 में अंकित खसरा संख्या 260, 261, 262 , 263 एवं 264 कुल किता 05 रकबा 1.2544 हैक्टेयर भूमि में खातेदार का नाम फुन्दिया पुत्र सुगना के स्थान पर फुलचन्द गोद पुत्र सुगना किया जाने के आदेश पारित किए जाते है।

आदेश आज दिनांक 08/11/2024 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते